

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) का निर्माण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है-

- 1.ईको-क्लास श्रेणी V
- 2.हरियाली का घनत्व 0.5
- 3.एन०पी०वी० की दर प्रति हैक्टेयर रुपया 9,39,000.00
- 4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल $1.57373+4.830945=6.404675$ हैक्टेयर
- 5.कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रुपया 60,13,990.00

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिबिल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

Signature

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

Signature

Signature

अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) का निर्माण।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा



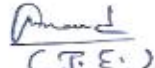
अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

चैक लिस्ट प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) हेतु प्रस्तावित वन भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र लगाये गये हैं।


सहायक अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अज्ञेय


(क. ए.)


अधिशाली अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

फैक्ट सीट

1- परियोजना का नाम - जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) का निर्माण।

2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा (हैक्टेयर में)	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा (हैक्टेयर में)	कुल भूमि (हैक्टेयर में)
आरक्षित वन भूमि-	-	-	-
सिविल एवं सोयम वन भूमि-	4.655445	1.57373	6.229175
वन पंचायत भूमि-	0.1755	0.00	0.1755
निजी (नाप) भूमि-	5.922	2.058	7.980
योग	10.752945	3.63173	14.384675

3- प्रस्तावक विभाग का नाम - सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०/पी.आई.यू.) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

4- वन प्रभाग का नाम - सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

5- प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है- हाँ

6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है- हाँ

7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है- हाँ

8- क्या प्रारूप में वॉछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ

9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है- हाँ

10-प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ

11-बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ

12-प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है- प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम रखने हेतु विभिन्न समरेखनों सहित अनेक विकल्पों पर विचार किया गया, जिसमें प्रस्तावित समरेखन में वृक्षों की संख्या न्यूनतम रही।

13-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या या वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है-

14-क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है- हाँ

15-क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मध्य स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है- हाँ

- 16-क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है—
हॉ
- 17-प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है—
हॉ
- 18-क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है—
नहीं
- 19-प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है—
नहीं
- 20-क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है—
हॉ
- 21-प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है—(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें।)
मार्ग नया प्रस्तावित है।
- 22-क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है—
हॉ
- 23-यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है—
हॉ
- 24-क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है—
नहीं
- 25-यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
आवश्यकता नहीं है।
- 26-सड़क निर्माण हेतु तलाश की गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं—
हॉ
- 27-वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय।)—स्वीकृत समरेखन नम्बर-01 के अलावा एक वैकल्पिक समरेखन का चयन किया गया, इस समरेखन के अन्तर्गत हेयर पिन (H.P.) बैडों व वृक्षों की संख्या अधिक आने तथा मार्ग की लम्बाई बढ़ने के कारण, इसे निरस्त कर प्रस्तावित समरेखन नम्बर-01 को ही चुना गया।
- 28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है।
(5 हेक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा।)—
संलग्न है।
- 29-मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है—
हॉ
- 30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है—
हॉ

अथवा

- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है—
हॉ
- 31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है—
हॉ
- 32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न हैं,
यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं—
हॉ
- 33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है—
नहीं/लीज पर नहीं दी जानी है।
- 34-वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है—
हॉ
- 35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है—
हॉ

36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं-

हों

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त, फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है। समस्त प्रमाण-पत्र/सूचना संलग्न कर दी गई है।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

परिशिष्ट
(देखिये नियम-6)
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1. परियोजना का विवरण
 - क) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/
परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत
टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) का
निर्माण।
 - ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
संलग्न है।
 - ग) परियोजना की लागत—
1,632.20 लाख
 - घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य।
इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया गया
तकनीकी दृष्टि से अन्य स्थानों पर मार्ग निर्माण किया जाना
सम्भव नहीं है।
 - ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)
लागू नहीं।
 - च) रोजगार जिनके पैदा होने की—
संभावना है।
मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण—

सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा		अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा		कुल भूमि
बेनाप (राज्य भूमि)	— 4.6554 हैक्टेयर	1.5737 हैक्टेयर		6.2291 हैक्टेयर
वन पंचायत भूमि	— 0.1755 हैक्टेयर	— शून्य—		0.1755 हैक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	— — शून्य—	— शून्य—		— शून्य—
वन भूमि का योग	— 4.8309 हैक्टेयर	1.5737 हैक्टेयर		6.4046 हैक्टेयर
नाप भूमि	— 5.922 हैक्टेयर	2.058 हैक्टेयर		7.980 हैक्टेयर
महायोग	— 10.7529 हैक्टेयर	3.6317 हैक्टेयर		14.3846 हैक्टेयर

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण
यदि कोई है—
आवश्यकता नहीं है।

 - क) परिवारों की संख्या—
आवश्यकता नहीं है।
 - ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या
आवश्यकता नहीं है।
 - ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)
आवश्यकता नहीं है।
 - क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है?
(हाँ/नहीं)
नहीं।

1. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके -
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता
(वचनबद्धता संलग्न की जाये)

प्रस्ताव में संलग्न है।

2. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

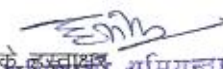
अनुक्रमण तालिका में ब्यौरा संलग्न है।

दिनांक 01/11/2014

स्थान अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड [पी.एम.जी.एस.वाई.]
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी के  अभियन्ता

नाम सिचाई खण्ड [पी.एम.जी.एस.वाई.]
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

मोहर

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)